मेरठ विकास प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2005 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 73वीं बैठक दिनांक 31.05.2005 को आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम सचिव द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे :–

1.	श्री मोहिन्दर सिंह, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2.	श्री एस0एस0आर्य उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3.	श्री चन्द्रभानु जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4.	श्री अभय कुमार वाजपेई अपर निदेशक–उद्योग, मेरठ।	सदस्य
5.	श्री जे0पी0त्रिवेदी, नगर आयुक्त, नगर निगम,मेरठ।	सदस्य
6.	श्री एस0के0जमां, चीफ कोर्डिनेटर प्लानर (प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0सी0आर0)	सदस्य
7.	श्री राजपाल कौशिक सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0शासन लखनऊ)	सदस्य

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

की

73वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 31.05.2005

का

कार्यवृत्त

8.	श्री डी0एस0 वार्ष्णेय, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य
9.	श्री ए0के0जैन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत–नगर, मेरठ।	सदस्य
10.	श्री ज्ञान सिंह अपर निदेशक–कोषागार एवं पेंशन	सदस्य
11.	श्री मंगल सैन पार्षद, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
12.	श्री राजकुमार सिंह पार्षद, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
13.	मौ0 अब्बास एड़वोकेट, पार्षद, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
14.	मौ0 जाहिद अंसारी पार्षद, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
15.	श्री सतीश कुमार सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

मोहिन्दर सिंह
अध्यक्ष

मद संख्या – 1

प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18.10.2004 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18.10.2004 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में सचिव ने अवगत कराया कि किसी भी मा0 सदस्य की कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। तदोपरान्त सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त

मद सं0–2

प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक में पारित विभिन्न प्रस्तावो की अनुपालन आख्या पर विचार ।

प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18.10.2004 की अनुपालन आख्या से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया। विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

(1) बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और निर्देश दिये कि अवशेष 04 कर्मचारियों से भी भवनों को तत्काल रिक्त कराया जाये। यह भी निर्देश दिये कि उक्त भवनों के अतिरिक्त प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में जो भवन अवैध कब्जे में है, उन्हें भी एक अभियान चलाकर एक माह के अन्दर रिक्त कराये तथा अनुपालन आख्या आगामी बोर्ड बैठक में रखी जाये।

(2) बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या पर असन्तोष व्यक्त करते हुये यह निर्देश दिये गये कि मा0 मुख्य सचिव के निर्देशानुसार वर्तमान में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओं अभियान के अन्तर्गत समस्त भूमि को तुरन्त अवैध कब्जो से नियमानुसार मुक्त कराया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि इन अवैध कब्जों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिये कि समस्त अर्जित भूमि का खसरावार व्यापक सर्वे कर यह भी ज्ञात किया जाये कि प्रश्नगत 68.00 हैक्टे0 के अतिरिक्त और कितनी अर्जित भूमि अवैध कब्जे से घिरी हुई है। यह भी निर्देश दिये गये कि अर्जन अनुभाग के समस्त कार्यो का गाटावार कम्प्यूटरीकरण प्रत्येक दशा में दिनांक 30.06.2005 तक पूरा कर लिया जाये।

(3) अनियमित रूप से बने बारातघरों के बारे में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुये निर्देश दिये कि जिन बारातघरों को बन्द बताया जा रहा है उनका जिलाधिकारी से सत्यापन करवाकर सुनिश्चित किया जाये कि वे अभी भी बारातघरो के रूप में प्रयोग तो

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

नही किये जा रहे है? अगर हो तो उस स्थिति में इन बारातघरों एवं उनके स्वामियों के विरूद्ध नियमानुसार बठोर कार्यवाही की जाये। पांच बाराघरों के बारे में गत बोर्ड बैठक के निर्देशानुसार गठित समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया और निर्देश दिये गये कि रिपोर्ट के अनुसार इन बारातघरों के हटाये जाने वाले हिस्सों का नियमानुसार ध्वस्तीकरण 15 दिन में सुनिश्चित किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत महानगर में स्थित अनियमित रूप से बने अन्य बारातघरों के विरूद्ध भी उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तुरन्त नियममानुसार कार्यवाही करें। अनुपालन आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये मा0 बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यकाल में उक्त बारातघरों का निर्माण हुआ है उनके विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाये।

(4) प्राधिकरण का वर्ष 2003–2004 का वास्तविक एवं वर्ष 2004–2005 का प्रस्तावित आय–व्यय (बजट)

मा0 बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया।

(5) मेरठ महायोजना–2021 के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों हेतु गठित समिति की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण एवं फाईनल महायोजना की स्वीकृति का प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।महायोजना की स्वीकृति में हो रहे विलम्ब के कारण बहुत से विकास कार्यो के रूक जाने, अवैध निर्माणों को बढ़ावा मिलने एवं प्राधिकरण को हो रही हानि को दृष्टिगत् रखते हुए बोर्ड द्वारा मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को निर्देश दिये गये कि वह तत्काल प्रभाव से लखनऊ के लिए प्रस्थान कर वहॉ कैम्प करके महायोजना–2021 को शासन से शीघ्रताशीघ्र अनुमोदित कराना सुनिश्चित करे।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

(6) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिनांक 6–5–2004 के अनुपालन में हर्ष नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि की वर्ष 2000 में की गयी नीलामी के प्रति उत्पन्न विवाद के फलस्वरूप आवंटी के प्रतिवेदन का निस्तारण।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए निर्देश दिये गये कि धनराशि की वसूली की कार्यवाही दिनांक 15.06.2005 तक अवश्य करली जाये। आर0सी0 जारी होने की स्थिति में मा0 अध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी, मेरठ से भी वसूली की कार्यवाही त्वरित गति से करने हेतु निर्देश दिये।

(7) गंगा नगर विस्तारीकरण योजना में प्रभावित कृषकों को अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने विषयक गंगा नगर आवासीय योजना में हुए समझौते के आधार पर गंगा नगर एक्सटेशन योजना के अवशेष 204.912 एकड़ क्षेत्रफल के लिए भी समझौता करने विषयक प्रस्ताव ।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और निर्देश दिये गये कि त्वरित गति से नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जाये।

(8) गंगा नगर एक्सटेंशन योजना की 204.912 एकड़ भूमि बल्क में विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुये निर्देश दिये गये कि 25.00 एकड़ के भूखण्ड के स्थान पर 5–5 एकड के भूखण्ड़ नियोजित कर विक्रय करने के प्रयास किये जाये। कोई भी केता चाहे तो 5–5 एकड़ के एक से अधिक भूखण्ड क्रय कर सकता है। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिये कि शेष दोनों स्थगन आदेशो को भी मा0 उच्च न्यायालय से शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कराया जाये।

मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ

उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण

...इन्दर सिंह आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ

(9) **गंगा नगर आवासीय योजना में स्थित अलोकप्रिय भवनों की प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित हुडको से प्राप्त मूल्यांकन पर निविदा–सह–नीलामी पद्धति से बल्क में आवंटित भवनों का विवरण ।**

अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(10) **विकास प्राधिकरण की योजनाओं में पैरीफेरियल डवलपमैन्ट/बाह्य विकास के सम्बन्ध में।**

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या पर अत्याधिक असन्तोष व्यक्त किया गया तथा यह निर्देश दिये कि वर्तमान अतिक्रमण हटाओं अभियान के अन्तर्गत अवशेष 11 निर्माण कार्यो से अशमनीय भाग को तुरन्त नियमानुसार हटाया जाये। यह सम्बन्धित जोनल अधिकारी का व्यक्तिगत् दायित्व होगा। मा0 अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिये कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आरम्भ से अब तक जितने भी सशर्त मानचित्र स्वीकृत किये गये है उनकी सूचना तुरन्त संकलित की जाये एवं इसे सम्बन्धित जोनल अधिकारी को सौपकर प्रश्नगत निर्माणों से अशमनीय भाग को हटाना सुनिश्चित करे।

(11) **गंगा नगर योजना के अन्तर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित किये जाने हेतु भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुये बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की भूमि क्रय हेतु जमा धनराशि को तत्काल वापस करने की कार्यवाही की जाये तांकि बिजौली ग्राम सभा की भूमि पर निर्माणाधीन उपकेन्द्र की स्थापना हेतु उक्त धनराशि प्रयोग की जा सके। जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके प्रकरण का शीघ्र निमयमानुसार निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये ।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त

(12) सैनिक विहार, पल्लवपुरम, श्रद्धापुरी फेस–द्वितीय, शताब्दी नगर एवं डा0 राम मनोहर लोहिया नगर आवासीय योजनाओं मं स्थित अलोकप्रिय भवनों के आवंटन का प्रस्ताव।

अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुये बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रचार–प्रसार कराकर अलोकप्रिय सम्पत्तियों का शीघ्र नियमानुसार निस्तारण किया जाये।

(13) मेरठ नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू व सरल बनाने हेतु मेवला फाटक व कंकरखेडा फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुये निर्देश दिये कि कि मै0 राईटस लि0 से वार्ता कर समय सारणी निर्धारित कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तांकि रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके।

(14)
वेदव्यासपुरी योजना की 133 हैक्टे0 (328.59 एकड़) भूमि बल्क में विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रस्तुत आख्या का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया।

(15) विजन स्टेटमेंट के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का कियान्वयन।

बोर्ड द्वारा अवलोकन करते समय निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

क0 सं0	प्रस्ताव का विवरण	एजेन्सी का नाम	कार्य की वर्तमान प्रगति	बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश
1.	बागपत रोड़ से रिठानी माइनर के	मे0वि0प्रा0 एवं	भू अर्जन प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय के	अर्जन प्रस्ताव को शासन से स्वीकृत

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

[illegible] सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

	साथ दिल्ली रोड़ तक महायोजना में प्रस्तावित मार्ग का निर्माण	एसाइड	कार्यालय में जनवरी,05 में भेज दिया गया है।	कराया जाये।
2.	दिल्ली रोड से रिठानी माईनर के साथ हापुड़ रोड पर पी0ए0सी0 के समीप तक मार्ग का चौडा करते हुए सुदृढ़ीकरण (ए0आई0सी0आई0डी0ई0 व प्राधिकरण) के माध्यम से मार्ग का निर्माण)	मे0वि0प्रा0 एवं एसाइड	भूमि अर्जन हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।	प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाये।
3.	लोहियानगर से गढ़ रोड तक महायोजना मार्ग का निर्माण (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से मार्ग का निर्माण)	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	भू-अर्जन प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय को जनवरी, 05 को प्रेषित किया जा चुका है।	कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने हेतु आवास विकास परिषद को निर्देश दिये गये।
4.	रेलवे स्टेशन रोड़ मार्ग से बागपत मार्ग को जोड़ने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग का निर्माण	मे0वि0प्रा0	स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सब एरिया कमाण्डर, मेरठ कैण्ट को दिनांक 21-3-05 को भेजा जा चुका है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आगामी कार्यवाही हो सकेगी।	सब एरिया कमाण्ड़र से वार्ता कर कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न की जाये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त

	(प्राधिकरण के माध्यम से मार्ग का निर्माण)			
5.	गढ़ रोड से परीक्षित गढ़ एवं मवाना मार्ग से होते हुए रूड़की रोड तक महायाजना में प्रस्तावित मार्ग का निर्माण (पी0डब्ल्यू0डी0 व प्राधिकरण के माध्यम से मार्ग का निर्माण)	मे0वि0प्रा0	भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा गया है।	अर्जन प्रस्ताव को शासन से स्वीकृत कराया जाये।
6.	नगरीय क्षेत्र में वर्तमान मेरठ–गढ़ मार्ग (काली नदी तक), हापुड़ मार्ग (लोहियानगर योजना तक), बेगम पुल से परतापुर फलाई ओवर तक दिल्ली के मार्ग, बागपत प्रवेश रोड, बाईपास जंक्शन तक, भोला रोड व बडौत रोड बाई पास तक,	मे0वि0प्रा0	मेरठ गढ रोड सर्विस रोड का निर्माण तेजगढी चौराहे तक मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है। मुख्य मार्ग के सुदृढीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है। हापुड रोड के चौडीकरण का कार्य बिजली बम्बा बाईपास तक कराया गया है। बेगमपुल से शहीद स्मारक तक चौडीकरण का कार्य कराया गया है। बागपत रोड बाई जक्शन	सम्बन्धित मार्ग निर्माणो के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग से आख्या प्राप्त की जाये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

	सरधना रोड माईपास तक, बेगमपुल से पल्लवपुरम तक–रूड़की रोड, मवाना रोड (जे0पी0 एकेडमी तक), परीक्षित गढ़ रोड पर काली नदी तक के मार्गो का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण व नालों का विकास।		तक कार्य प्रगति पर है। सरधना रोड के चौडीकरण का अवस्थापना बैठक में स्वीकृत हो चुका है। मवाना रोड के चौडीकरण का कार्य लोक निर्माण द्वारा किया गया है।	
7.	बेगम ब्रिज, घंटाघर, तेजगढ़ी हापुड़ अडडा, बागपत रोड, बडौत रोड व सरधना मार्ग के चौराहों (बाईपास) तथा दिल्ली–रूड़की बाई पास से नगर के दोनों ओर प्रवेश स्थलों का विकास	नगर निगम	---	नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाये।
8.	बेगम पुल से गढ़ रोड तक आबू नाले तथा नाला	नगर निगम	---	नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

	पटरी का विकास			
9.	बागपत चौराहे से शास्त्री नगर तक ओडियन नाले का विकास	नगर निगम	---	नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाये।
10.	नौचन्दी ग्राउन्ड, विक्टोरिया पार्क, सूरज कुण्ड, एतिहासिक स्थलों एवं संजय बन तथा वेद व्यासपुरी योजना में पार्को व पिकनिक स्पॉट का विकास कार्य	मे0वि0प्रा0 एवं नगर निगम	वेदव्यासपुरी योजना के पिकनिक स्पाट एवं पार्क के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है।	जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में कमैटी गठित करते हुये कार्यवाही की जाये तथा ऐतिहासिक स्थलो में मकबरा अब्बू भी शमिल कर लिया जाये। विक्टोरिया पार्क का निर्माण कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्व विद्याालय, मेरठ द्वारा किये जाने की कार्यवाही की जाये।
11.	बेगम ब्रिज के समीप आबू नाला, टाउनहाल तथा नगर के मुख्य मार्गो पर पार्किंग स्थलों का विकास	नगर निगम	---	समस्त शहर की समुचित ट्रांस्पोर्ट व्यवस्था के लिये एक मास्टर प्लान तैयार किया जाये जिसका सर्वे किसी एक्सपर्ट एजेन्सी से कराया जाये। जिसमें प्रस्तावित इनर व आउटर रिंग रोड को भी भविष्य के लिये समायोजित किया जाये। शेष कार्यवाही भी नगर निगम द्वारा की जाये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

[illegible] सिंह
[illegible]

12.	नगरीय क्षेत्र में मुख्य आबू नाला व ओडियन नाले के साथ ट्रंक सीवर लाईन तथा लोहियानगर के समीप सीवरेज ट्रीटमैन्ट–प्लान्ट का निर्माण	नगर निगम	——	नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाये।
13.	नूर नगर, परतापुर व मोहिउद्दीनपुर रेलवे स्टेशनों का विस्तारीकरण तथा इनके समीप पार्किंग स्थलों का विकास	मे0वि0प्रा0	कार्यवाही की जा रही है।	बोर्ड द्वारा अवलोकित
14.	वेदव्यासपुरी एवं मवाना मार्ग पर जे0पी0 एकेडमी के समीप महायोजना में प्रस्तावित बस अडडे का निर्माण	मे0वि0प्रा0 एवं परिवहन विभाग	——	कार्यवाही शीघ्र की जाये।
15.	बागपत रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण	मे0वि0प्रा0	प्रस्ताव विचाराधीन है।	मेरठ महायोजना–2021 के स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जाये।
16.	रिठानी माईनर पर दिल्ली रेलवे लाईन के ऊपर तथा सरधना रोड पर	मे0वि0 प्रा0	फिजिबिलिटी सर्वे हेतु कम्पनी से अनुबन्ध सम्पादित करा दिया गया है।	अवलोकित। कम्पनी से समय–सारणी निर्धारित कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त की जाये

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण

मोहिन्दर सिंह

	मेरठ–सहारनपुर रेलवे लाईन पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण			ताकि अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।
17.	हापुड रोड एवं लिसाडी रोड पर प्रस्तावित डेयरी स्थलों का विकास	मे0वि0प्रा0	प्रस्ताव विचाराधीन है।	मेरठ महायोजना–2021 के स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जाये।
18.	प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र से बाहर पशुवधशाला का निर्माण	नगर निगम	—	नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाये।
19.	मेरठ नगर की जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था हेतु भोला झाल के विकास एवं पिकनिक स्पोट के रूप में विकसित किया जाना।	नगर निगम	—	नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाये
20.	मेरठ नगर की यातायात को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु पब्लिक ट्रान्सपोर्टेम कियान्वयन कराया जाना	मे0वि0प्रा0	बेगम ब्रिज चौराहा पर सिंगनल लाईट तथा परतापुर तिराहा, वेद व्यासपुरी के सामने, बागपत चौराहा, रोहटा रोड चौराहा, श्रद्धापुरी फेज–द्वितीय के सामने, सरधना रोड चौराहा, श्रद्धापुरी–प्रथम के सामने,	अवलोकनोपरान्त निर्देश दिये गये कि ट्रेन्सपोर्ट प्लान में इस प्रस्ताव को भी शमिल किया जाय।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त

			मोदीपुरम तिराहा, पल्लवपुरम फेज– प्रथम व द्वितीय के सामने, बिजली बम्बा बाईपास पर दोनो किनारो पर, लोहियानगर योजना, रक्षापुरम योजना, गंगा नगर योजना में मुख्य मार्ग पर ब्लिंकर्स लाईट लगादी गई है।	

अनुपालन मद सं0–3

गंगानगर विस्तारीकारण योजना में प्रभावित कृषकों को अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने विषयक गंगानगर आवासीय योजना में हुए समझौते के आधार पर गंगानगर एक्सटेंशन योजना के अवशेष 204.912 एकड क्षेत्रफल के लिए समझौता करने विषयक प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन मद संख्या–4

पल्लवपुरम् फेज–2 आवासीय योजना के पाकेट–ओ में संस्थागत उपयोग में रिक्त भूखण्ड का उपयोग परिवर्तित करने विषयक प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित।

अनुपालन मद संख्या–5

ग्राम कसेरू बक्सर मवाना रोड के खसरा संख्या 190 पर वृद्ध सेवा आश्रम में निर्माण के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

अनुपालन मद संख्या–6

श्रृद्धापुरी फेज–2 में ग्राम नगलाताशी कासिमपुर के खसरा संख्या 236 रकबा 9–15–14 बीघा भूमि का समायोजन कैथोलिक डायसिस आफ मेरठ के पक्ष में किये जाने विषयक प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन को अनुस्मारक प्रेषित किये जाये तथा शासन से प्राप्त निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

अनुपालन मद संख्या–7

मेरठ–रूड़की बाई पास मार्ग पर रिलाइन्स इण्डस्ट्रीज के मोबाईल स्वीचिंग सेण्टर की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये कि निर्माणकर्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तावित ग्रिन वर्ज पर किसी भी स्थिति में निर्माण न किया जाये, यह सम्बन्धित जोनल अधिकारी का व्यक्तिगत् दायित्व होगा।

अनुपालन मद संख्या–8

मेरठ रूड़की बाई पास मार्ग पर ग्राम दौराला क्षेत्र में रिलाईन्स इण्डस्ट्रीज के पेट्रोल पम्प के निर्माण की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित। महायोजना–2021 के अनुमोदन उपरान्त कार्यवाही की जाये।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

अनुपालन मद संख्या—9

दौराला क्षेत्र की महायोजना तैयार करने विषयक प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या पर असन्तोष व्यक्त करते हुये निर्देश दिये गये कि शीघ्रातिशीघ्र समय सारणी निर्धारित करते हुये महायोजना तैयार करने का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाये एवं रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये।

अनुपालन मद संख्या—10

प्राधिकरण के भूखण्डों के पट्टेदार द्वारा अनुबन्ध समय और बढाये गये समय के भीतर निर्माण में असफल रहने पर पट्टे से 5 वर्ष के पश्चात् 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रभार की वसूली के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित। ऐसे समस्त आवंटियों को नोटिस जारी किये जाये।

अनुपालन मद संख्या—11

प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 24—5—04 को सम्पन्न हुई 71वीं बैठक के मद संख्या—5 में पारित निर्णय के अनुक्रम में प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

अनुपालन मद संख्या–12

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय/व्यवसायिक/आवासीय बल्क/व्यवसायिक बल्क परिसम्पत्तियों के निमित्त आवंटन पत्र के जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर शत प्रतिशत भुगतान पर आवासीय व व्यवसायिक सम्पत्तियों में देय 5प्रतिशत की छूट आवासीय बल्क व व्यवसायिक बल्क सम्पत्तियों पर देय 8प्रतिशत की छूट तथा इस एक माह की अवधि में ही निबन्धन कराकर कब्जा प्राप्त कर लेनें की शर्त पर देय 2प्रतिशत छूट की समाप्ति विषयक प्रस्ताव।,

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित।

अनुपालन मद संख्या–13

पल्लवपुरम् आवासीय योजना में उच्च आय वर्ग भवन संख्या बी/एच–94 के आवंटी श्री धर्मेन्द्र पुण्डीर का आकस्मिक निधन हो जाने के बाद भवन के नामान्तरण में लगे समय के फलस्वरूप दण्ड ब्याज माफी का प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित।

अनुपालन मद संख्या–14

श्रृद्धापुरी आवासीय योजना के फेज–2 में माननीय पूर्व सदस्य विधान परिषद श्रीमती राजेश तोमर एवं उनके पति श्री सत्यवीर सिंह के पक्ष मं आवंटित उच्च आय वर्ग भूखण्ड संख्या ए–207 व 208 के निमित्त भूखण्डों के निबन्धन पश्चात् योजना की निर्धारित दर को आधार मानकर रिफण्ड हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

अनुपालन मद संख्या–15

पल्लवपुरम् आवासीय योजना में श्रीमती खुर्शीद फातिमा को आवंटित एम0आई0जी0भवन संख्या ओ–88 में देय ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित।

अनुपालन मद संख्या–16

श्री विनोद कुमार मित्तल, अवर अभियन्ता को हार्ट सर्जरी पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित।

अनुपालन मद संख्या–17

श्रीमती आशालता सिंह के प्रत्यावेदन पर मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम कसेरू बक्सर की गाटा संख्या 482 व 483 क्षेत्रफल 1200वर्गगज भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित।

अनुपालन मद संख्या–18

मेरठ विकास प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी आवासीय योजना में सी0आर0पी0एफ0 द्वारा 50 एकड भूमि के आवंटन की मांग के सापेक्ष 46 एकड भूमि का आवंटन।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मो0 हिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

अनुपालन मद संख्या–19

औद्योगिक सेवा क्षेत्र में हाई–टैक टाउनशिप विकसित आदि से सम्बन्धित प्राप्त निम्न शासनादेश जिनकी छायाप्रति संलग्न है, को अंगीकृत कराने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित।

अनुपालन मद संख्या–20

अन्य प्रस्ताव।

1. अनुपालन आख्या अवलोकित। प्राधिकरण के कार्यकलापों/योजनाओं का विस्तृत विवरण भी बोर्ड की आगामी बैठक में अवश्य रखें।
2. अवलोकित।
3. अवलोकित। समस्त आवासीय योजनाओं में व्यापक प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों, सार्वजनिक घेषणाओं, नोटिस बोर्डो एवं पंम्फलेटों के माध्यम से कराकर रिक्त पड़ी भूमि एवं भवनों का नियमानुसार निस्तारण एक अभियन के रूप में करें।
4. अवलोकित।
5. बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन करते समय निर्देश दिये कि प्रवर्तन खण्ड में अभियन्ताओं को योग्यता के आधार पर तैनात किया जाये। अभियन्ताओं का मासिक लक्ष्य निर्धारित कर उनकी साप्ताहिक समीक्षा की जाये तथा अवैध निर्माण कार्यो पर अंकुश लगाने में विफल अभियन्ताओं के स्थान पर अन्य अभियन्ता तैनात किये जाये। महानगर में अवैध रूप से विकसित की गयी अवैध कालोनियों का सघनतापूर्वक सर्वे करके उनक विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये और भविष्य में कोई अवैध कालोनी विकसित न होने दे, यह सम्बन्धित जोनल अधिकारी/अवर अभियन्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगीं। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि विगत पांच वर्षो में जिन बड़े निर्माण कार्यो (आवासीय एवं व्यावसायिक) के मानचित्र तथा निजि कालोनियों के ले–आऊट स्वीकृत किये गये है, इन सबका स्थलीय निरीक्षण/नापतौल कराकर सम्भवित विचलन के बारे में ज्ञात कर लिया जाये तथा तद्नुसार ध्वस्तीकरण/शमन की कार्यवाही

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त

नियमानुसार अमल में लाई जाये। अनुपाल आख्या आगामी बोर्ड बैठक में रखी जाये।

6. विभिन्न आवासीय योजनाओं में रिक्त आवासीय/व्यावसायिक/विकसित/ अविकसित सम्पत्तियों को व्यापक प्रचार–प्रसार करके शीघ्रातिशीघ्र नियमानुसार विक्रय किये जाने की कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित सम्पत्ति अधिकारी के कार्यो का आकंलन सम्पत्ति विक्रय में किये गये प्रयासों के आधार पर किया जायेगा। जिन सम्पत्तियों का विक्रय पूर्व में किया गया है उनकी समीक्षा करके ज्ञात किया जाये कि क्रेता ने निर्धारित शर्तो का पालन किया है या नहीं तथा किश्ते समय पर जमा की है या नहीं। क्रेतावार समीक्षा रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये। जो सम्पत्तियॉ बार–बार विज्ञापित किये जाने के बावजूद विक्रय नहीं हो पा रही है उनके बारे में भी योजनावार समीक्षा कर यथेष्ठ कार्यवाही करे ताकि उनका निस्तारण त्वरित गति से हो सकें।

समस्त अविकसित सम्पत्ति के ले–आऊट तैयार किये जाये ताकि उनके विक्रय की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकें। उपरोक्त आख्या आगामी बोर्ड बैठक में रखी जाये।

मद संख्या–3

प्राधिकरण का वर्ष 2004–2005 का वास्तविक एवं वर्ष 2005–2006 का प्रस्तावित आय व्ययक (बजट)

अवलोकित कर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह की मांग पर अर्जित भूमि से सम्बन्धित ग्रामो के विकास हेतु 30.00 लाख धनराशि के स्थान पर 1.00 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया। प्राधिकरण के विकास कार्यो में सहयोग देने वाले ग्रामो के विकास कार्यो को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये गये।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद संख्या–4

मेरठ विकास प्राधिकरण की पल्लवपुरम्, श्रृद्धापुरी फेज–1 व 2, डिफेन्स एन्क्लेव, सैनिक विहार आवासीय योजनाओं में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार तथा गंगानगर आवासीय योजना में किसानों के साथ हुए समझौते के अनुसार बढी हुई प्रतिकर की धनराशि की एक मुश्त अदायगी पर आवंटियों को 7 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव।

आख्या का अवलोकन कर प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–5

विधि अनुभाग में वादों की अध्यावधिक स्थिति/स्टेट्स रिपोर्ट

समस्त वादो का दिनांक 30.06.2005 तक कम्प्यूटरीकरण करा लिया जाये। जिसमें अधिवक्तावार निस्तारित/अनिस्तारित वादो की स्थिति, तथा कितने वाद प्राधिकरण के पक्ष में एवं कितने वाद विपक्ष में निर्णीत हुये यह भी इंगित किया जाये। यह कार्यवाही उपाध्यक्ष एवं इस कार्य के लिये नामित अपर आयुक्त करेगें। जो अधिवक्ता अच्छे परिणाम नहीं दे रहे है उन्हें पैनल से हटाने पर विचार कर लिया जाये। प्राधिकरण के विरूद्ध वर्तमान में चल रहे स्थगन आदेशों की समीक्षा कर उन्हें त्वरित गति से समाप्त कराने की कार्यवाही की जाये।

मद सं0–6

प्रस्तावित रिंग रोड हेतु भूमि अर्जन का व्यय इन्फास्ट्रक्चर फण्ड से कराये जाने विषयक प्रस्ताव।

सर्वे एजेन्सी मैसर्स फीड बैक से समय–सारणी निर्धारित कर 30 जून, 2005 तक सर्वे का कार्य पूर्ण कराये। सर्वे एजेन्सी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु निर्देश दिये गये।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद संख्या–7

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा जारी वर्क मैनुअल में प्रस्तावित संशोधन विषयक प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 व शासन से प्राप्त वर्क मैनुअल का तुलनात्मक अध्ययन कर गुणवत्तापूर्ण मैनुअल तैयार किये जाये तथा आगामी बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाये।

मद संख्या–8

गंगा नगर आवासीय योजना में प्राधिकरण के अधिकारियों हेतु आवासीय परिसर बनाये जाने के लिए भूमि चयन के संबंध में।

प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लिया कि प्रस्तावित स्थल के स्थान पर गंगा नगर (एक्स0) योजना में अधिकारियों हेतु आवासीय परिसर बनाये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

मद संख्या–9

प्राधिकरण द्वारा रियायती दरों पर आवंटित शैक्षिक भूखण्डों पर निर्मित विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्राधिकरण कर्मचारियों के परिवारजनों को प्राथमिकता पर दाखिला दिये जाने के व शिक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। बोर्ड सदस्यों की मांग पर निर्णय लिया गया कि यह सुविधा बोर्ड के सदस्यो को भी उपलब्ध कराई जाये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

मद संख्या–10

श्रद्धापुरी फेज–2 में ''महाविद्यालय'' के स्थल के परिवर्तन तथा उक्त भूमि को ''आवासीय तथा व्यावसायिक उपयोग'' हेतु आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अनुमोदित कर निर्देश दिये गये कि भूमि का शीघ्रातिशीघ्र नियमानुसार निस्तारण कर अनुपालन आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये।

मद संख्या–11

रक्षापुरम में मूल तलपट मानचित्र में प्राईमरी स्कूल (शैक्षिक उपयोग) की भूमि 3655 वर्ग मी0 का भू–उपयोग आवासीय परिवर्तित करना तथा भूमिधर श्री शंकर सिंह को आवंटित 1500 वर्ग मी0 की स्थिति तथा पार्क में आंशिक परिवर्तन के संबंध में।

बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व सचिव परीक्षण कर आख्या दे कि 04.01.1990 को किया गया आवंटन विधिसम्मत था अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में एक कमैटी बनाकर स्थल निरीक्षण करा लिया जाये। यह भूमि पार्क में दी जा सकती है या नहीं तथा नियमों का उल्लघंन तो नहीं है आदि का परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखे।

मद सं0–12

मेरठ विकास क्षेत्र में मेरठ महायोजना–2021 में प्रस्तावित बाह्य रिंग रोड के निर्माण हतु भूमि अर्जन तथा फिजिबिलिटी स्टैडी कराये जाने के सम्बन्ध मे।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि ''फिजिबिलिटी स्टैडी'' हेतु नियमानुसार एजेन्सी निर्धारित कर सर्वे की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जाये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

मद संख्या–13

सैनिक विहार आवासीय योजनाओं में स्थित अलोकप्रिय भवनों की हुडको से प्राप्त कास्टिंग का अनुमोदन तथा उक्त भवनों को निविदा–सह–नीलामी पद्धति से बल्क में आवंटन का प्रस्ताव।

हुडको से प्राप्त कास्टिंग रिपोर्ट के बारे में बोर्ड ने निर्देश दिये कि रिपोर्ट का भली प्रकार अध्ययन कर प्राधिकरण को होने वाली वित्तीय हानि का आकंलन कर लिया जाये। यह भी अध्ययन कर लिया जाये कि इतनी बडी संख्या में भवनों को बनाने से पूर्व क्या डिमांड सर्वे किया गया था ? तत्कालीन अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आगामी बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाये।

मद संख्या–14

प्राधिकरण की गंगानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम कसेरू बक्सर के गाटा सं0 482 व 483 क्षेत्रफल 1200 वर्गगज भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

मद संख्या–15

प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से स्वीकृत किये जाने वाले भवन मानचित्रों के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट के आधार पर भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर विचार।

प्रस्तुत तीनो प्रस्तावों के बारे में प्राधिकरण के अधिकारियों के स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखने हेतु निर्देश दिये गये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

मद संख्या–16

डिप्लोमा इंजी0 संघ के सदस्यों का पेट्रोल भत्ता बढ़ाने के संबंध में।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का जो भाग वर्तमान में विद्यमान शासनादेशानुसार नहीं है उसे शासन को विचारार्थ भेजा जाये।

मद संख्या–17

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहीत भूमि पर अवैध कब्जाधारकों को प्रश्नगत भूमि आवंटित/समायोजित एवं निर्मित निर्माण को शमन किये जाने के सम्बन्ध मे।

इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि इस प्रकार के समस्त प्रकरणों का गहनतापूर्वक परीक्षण कराकर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये, तांकि प्रत्येक प्रकरण पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके। यह भी विचार करने हेतु निर्देश दिये गये कि इस प्रकार की कार्यवाही से अवैध कब्जो को बढावा तो नहीं मिलेगा।

मद संख्या–18

समय–समय पर उ0प्र0 शासन के आवास विभाग द्वारा जारी निम्न शासनादेशों को अंगीकृत किया जाना।

प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लिखित समस्त शासनादेशों पर विचार–विमर्श उपरान्त अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

अनुपूरक मद संख्या–1

पल्लवपुरम् आवासीय योजना के पाकेट पी में भारतीय विकलांग मित्र समिति के पक्ष में आंविटत भूमि 1000 वर्गमी0 पर देय किश्तों में शामिल ब्याज की मुक्ति एवं भूखण्ड पर 50 प्रतिशत धन अदायगी की बजाय 25 प्रतिशत पर ही कब्जा दिया जाने विषयक प्रस्ताव

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या–2

प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के लिए ग्राम कुण्डा के गाटा संख्या 373 व 374 के सम्बन्ध में रिट याचिका सं0 18896/87 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपेक्ष्य में मै0 जे0 सन्स इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि0 की भूमि को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।

निर्देश दिये गये कि भूमि अर्जन के समय हुये सर्वे के रिकार्ड के अनुसार देख लिया जाये कि प्रश्नगत् फैक्ट्री का निर्माण भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–4 से पूर्व का है अथवा बाद का है। प्राधिकरण के अधिकारियों की स्पष्ट संस्तुति सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखे।

अनुपूरक मद सं0 3

मेरठ हापुड रोड पर ग्राम शाकरपुर एवं बुढेरा जाहिदपुर में भूमि अर्जन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव के बारे में निर्णय लिया गया कि एक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कराकर सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत निर्माण जिलाधिकारी कार्यालय को अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व के है अथवा बाद के। तद्नुसार जांच कराकर स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

अनुपूरक मद सं0 4

शताब्दीनगर के सैक्टर–5 में बी0एड0 कालेज के लिए भूमि का आवन्टन।

विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया तथा भविष्य के लिये निर्देश दिये गये कि इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व यह विचार अवश्य कर लिया जाये कि इस प्रकार की कार्यवाही से प्रस्तावित मास्टर प्लान–2021 का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

अनुपूरक मद सं0 5

मेरठ महानगर हेतु भोला की झाल में सरफेस वाटर की पेयजल योजना का पुर्नगठन।

प्रस्ताव अनुमोदित।

अनुपूरक मद सं0 6

शहीद स्मारक परिसर मेरठ अन्तर्गत रखरखाव एवं अनुरक्षण कार्य मेरठ विकास प्राधिकर, मेरठ द्वारा किये जाने हेतु सहमति पत्र उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव के बारे में निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

6– सदस्यों के द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि प्राधिकरण की आय बढाने पर विचार किया जाये प्रत्येक बोर्ड बैठक मे प्राधिकरण की रिक्त सम्पत्ति की सूची प्रस्तुत की जाये और सम्पत्ति न विक्रय हो सकने के कारणों की भी समीक्षा की जाये।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

16/11/04

14/11/04